न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	22/24	2024/47	29.07.2024	सरकार बनाम आलोक कुमार गर्ग व अन्य	26.02.2026	1 लगायत5

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 22/2024 (2024/47)?

उनवान

1. वेदप्रकाश पूर्विया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

– आवेदक

बनाम

1. . श्री आलोक कुमार गर्ग पुत्र श्री मुरारीलाल गर्ग कपूर चन्द, चोपड बाजार गंगापुरसिटी निवासी (मौके पर विक्रेता) मैसर्स हजारी लाल दोना पत्तल वाली गली, गंगापुरसिटी।
2. श्री मुरारी लाल गर्ग पुत्र श्री कपूर चन्द मालधनी (प्रोपराईटर) मैसर्स हजारी लाल कपूर चन्द, चोपड बाजार गंगापुरसिटी निवासी दोना पत्तल वाली गली, गंगापुरसिटी।
3. रामा पैकेजिंग ग्राम पिरथाला चापरोला रोड, पिरथाला पलवल हरियाणा (समस्त डायरेक्टर)
4. रामा पैकेजिंग ग्राम पिरथाला चापरोला रोड, पिरथाला पलवल हरियाणा (निर्माता फर्म)

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) की धारा 52 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

यह कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा दिनांवा 17.09. 2021 को दोपहर 01.30 पी एम पर मैसर्स हजारी लाल कपूरचन्द चोपड बाजार गंगापुरसिटी पर पहुँचे। यहां पर श्री आलोक कुमार गर्ग पुत्र मुरारीलाल गर्ग उपस्थित मिले जिन्हे अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया श्री आलोक कुमार गर्ग ने स्वयं को फर्म का विक्रेता एवं श्री मुरारी लाल गर्ग फर्म के प्रोपराईटर होना बताया। कफालीन वाच सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने श्री आलोक कुमार गर्ग से वर्ष 2021 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र एवं स्वयं का आधार कार्ड दिखाया एवं छाया प्रति मौके पर प्रस्तुत की जो संलग्न परिवाद है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

द्वारा उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ पान मसाला (अम्बर ब्राण्ड) 60 पाउच पैक के 50 पैकिट्स एक गत्ते के कार्टून में रखे हुए थे। इनमें गुणवत्ता में कमी होने का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जाँच हेतु खाद्य पदार्थ पान मसाला (अम्बर ब्राण्ड) 60 पाउच के 16 पैकिट्स खरीद कर उसकी कीमत 1384/रुपये विक्रेता श्री आलोक कुमार गर्ग को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री अंकित अग्रवाल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने हस्ताक्षर किये, जो संलग्न परिवाद है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने मौके पर फार्म से 50 की प्रतियों तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री आलोक कुमार गर्ग ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. इए की एक प्रति विक्रेता श्री आलोक कुमार गर्ग को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए इस्तगासा के साथ संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पान मसाला (अम्बर ब्राण्ड) 60 पाउच के 16 पैकिट्स के चार चार पैकिट्सों के चार सेट बनाकर लेबल तैयार कर प्रत्येक सेट पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H** –2084 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाको कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **H**–2084 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित विकेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। फर्द रिपोर्ट इस्तगासा के साथ सलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छ. की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर यह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर को जगा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासा के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासा के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग सध्य तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जी इस्तगासा के साथ संलग्न है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/2166 दिनांक 05.10.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं एलएस/1113/एक्ट/2021/1101 दिनांक 28.09.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पान मसाला (अम्बर ब्राण्ड) डपेइतंदक होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट की एक प्रति मय पत्र विक्रेता श्री आलोक कुमार गर्ग को कार्यालय द्वारा भिजवाई गई जॉच रिपोर्ट एवं पत्र इस्तगासा के साथ संलग्न है।

अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ पान मसाला (अम्बर ब्राण्ड) का विकय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) की धारा 52 का उल्लघंन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गईं।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ पान मसाला (अम्बर ब्राण्ड) मिसब्राण्ड प्रकृति का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खादय पदार्थ विकय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु0नं0 22/24 (2024/47) उनवान सरकार बनाम आलोक व अन्य

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं एलएस/1113/एक्ट/2021/1101 दिनांक 28.09.2021 निम्नानुसार हैः–

Government of Rajasthan
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)
Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004
FORM-B
Test Report of the Food Analyst
[Refer Regulation (2) of 2.3.1]

Report No. L.S. / 1113 / Act / 2021 / 1101 Date: 28-09-2021

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर

Certified that I Karan Singh Tanwar, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Prem Chand Jain, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur, a sample of "Pan Masala (Amber Brand)" bearing Code number and Serial number H-2084 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur area on 20-09-2021 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:
The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Pan Masala" falling under Regulation No. 2.11.5 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 21-09-2021 to 28-09-2021 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-
(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact company packed polythene packing of 4x60pouches 2g each. Total 240 pouches of 2g. each.
(2) Physical appearance : - Brown coloured solid mixture material.
(3) Label : -

Brand name :- Amber
Batch No. : - 0901
Date of Mfg. / Pkg. :- Not given. Contravention of Regulation No. 2.2.2(9) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation, 2011.
Best before : - 4 months from packaging
Symbol for Veg. /Non Veg. :- Green symbol given.
Ingredients :- Betelnuts, Catechu, Cardamom, Lime, Menthol, Spices, Herbs, Contains added Flavours Natural Flavours and Natural Falvouring Substances.
Nutrition Information : - Given.
Name & Address of Mfr. /Pkr. : - Rama Packaging Village-Pirthala Chaprola Road, Pirthala, Palwal, Haryana-121102
FSSAI License No. : - 10017064001038
Warning :- Not for minor, chewing of pan masala is injurious to health given.

Sl. No	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Total ash (on dry basis) by weight.	FSSAI Manuals of method of analysis of food.	5.52%.	Not more than 8.0%
2.	Ash insoluble dilute HCL (on dry basis) by weight.	----do---	0.24%	Not more than 0.5%
3.	Test for mineral oil	-----do-----	Negative	-------
4.	Test for saccharin	-----do----	Negative	As per Regulation No.3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
5.	Added colouring matter.	----do----	Absent.	Absent.
6.	Test for Nicotin	TLC Method	Negative	Negative

Opinion- The sample of "Pan Masala (Amber Brand)" bearing Code No. and Sr. No. H-2084 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act, 2006.

Signed this 28th day of September 2021

Food Analyst
(Authorized Signatory)
(Karan Singh Tanwar)
Food Analyst, Rajasthan
Central Public Health Laboratory
Rajasthan, Jaipur

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Copy to : COMMISSIONER OF FOOD SAFETY CUM.
The Director (P.H.), Medical & Health Services.
Rajasthan, Jaipur

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभि[illegible] खाद्य पदार्थ पान मसाला (अम्बर ब्राण्ड) मिसब्राण्ड प्रकृति होना पाया गया है। [illegible]पि [illegible]वगुण पर सुनवाई उपरान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ पान मसाला (अम्बर ब्राण्ड) मिसब्राण्ड प्रकृति विकय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 जुर्माना राशि 10,000 रूपये (अक्षरे–दस हजार रूपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी

अति. जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:43 IST
Reason: SelfAttested